

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं 07/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख, 31 जनवरी, 2019

सा.का.नि.....(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 1150(अ), तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 66/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 29 नवंबर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में "जनवरी, 2019 के 31वें दिन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फरवरी, 2019 के 28वें दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 20/06/17/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना संख्यांक 66/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 29 नवंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 1150(अ), तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।